

आर.आर.एच.एल. से लाया, अनुमत प्राप्ति का जाएगा। तबपुत्र इससे बी.एच.ई.एल. के आदेश की शर्तों के अनुपालन के उत्तरदायित्व से आपूर्तिकर्ता की नहीं हो जाएगा।

17. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के लिये यह बाध्यकर नहीं है कि वह निम्नतम दर को या किसी कोटेशन को स्वीकार करे, किन्तु वह यह अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है कि वह अपने विवेकानुसार कोई भी कोटेशन पूरा या उसका कोई भी अंश स्वीकार कर ले।

18. **दरें इन्क्वायरी में दी गयी यूनिटों में कोटेशन खोले जाने के निर्धारित दिनांक से तीन मास की अवधि के लिये दी जानी चाहिए। दरें अंकों और शब्दों में दर्शायी जानी चाहिये।**

19. किसी कोटेशन के खोले जाने के बाद किन्तु क्रय आदेश दिए जाने से पहिले यदि कोई निविदाकार कोटेशन वापस ले लेता है और यदि उसने बयाना राशि जमा कर दी है तो उसे सम्पहत किया जा सकता है।

20. कोटेशन में **टैरिफ भद्र क्रमांक** तथा लागू उत्पाद कर दर्शाया जाना चाहिये। हमसे प्रभारित करने पर भूल उत्पादन कर गेट पास प्रस्तुत करना भी अपेक्षित होगा।

21. आपूर्ति के समय लागू **केन्द्रीय विक्रय कर** ही केवल प्रभारित किया जायेगा। हमारा पंजीयन क्रमांक भोपाल 1/एच.ई.एल. 11 (सी) दिनांक 28/1/1982 है, किन्तु यदि किसी निविदाकार को यह पता लगता है कि कोई और विक्रय कर का भी भुगतान किया जाना है तो कोटेशन में उसका स्पष्ट उल्लेख किया जाय।

22. जहाँ अतिरिक्त विक्रय कर के भुगतान का प्रावधान है वहाँ इनका भुगतान तभी किया जाएगा जब राज्य विक्रय कर तथा केन्द्रीय विक्रय कर दोनों के पंजीयन क्रमांक बिल/बीजक में विशिष्ट रूप से उनका उल्लेख किया गया होगा।

23. कोटेशन में **आपूर्तिकर्ता विक्रय कर पंजीयन संख्या** अवश्य दर्शायी जाये।

24. **आपूर्तियाँ भली-भाँति सुरक्षित** भेजी जाए और माल की पैकिंग इस प्रकार की जाए कि किसी प्रकार की कोई हानि, नुकसान आदि न हो, चिन्हांकन एवं प्रेषित ब्योरे क्रय आदेश अनुसार होने चाहिए।

25. **सभी सामग्री बरि. प्रबंधक, केन्द्रीय प्राप्ति अनुभाग** को यदि रेल द्वारा है तो हेवी इलेक्ट्रिकल्स साइडिंग वाया भोपाल जाये। सड़क से भेजे जाने पर सामग्री दवाजे पर सुपुर्दीनी (आन डोर डिलेवरी) के आधार पर बरि. उप महाप्रबंधक केन्द्रीय प्राप्ति अनुभाग, ब्लाक-सात, बी.एच.ई.एल. भोपाल को भेजी जाये कोई सामग्री उन्नतानुसार बुक नहीं की जाने के कारण होने वाला कोई घाटा या धाड़ा या विलम्ब शुल्क आपूर्तिकर्ता के खाते में लिखा जाएगा।

26. **क्रय आदेश में दर्शाए ब्योरे के अनुसार** बीजक चालान, गारण्टी प्रमाण-पत्र परीक्षण प्रमाण-पत्र, रेटवे रसीद/लारी आदि दस्तावेजों का सेट सामग्री प्रबंधन विभाग केन्द्रीय प्राप्ति अनुभाग क्रय बिल (रैल्वे) विभागों को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

27. बी.एच.ई.एल. द्वारा दी गई ड्राइंग तथा पैटर्न बी.एच.ई.एल. की संपत्ति रहेगी और बी.एच.ई.एल. द्वारा मांगे जाने पर उन्हें बी.एच.ई.एल. को वापस करना पड़ेगा।

28. **माध्यस्थ्य** : इस क्रय आदेश के संदर्भ और इससे संबंधित सभी विवाद के मामले वह बी.एच.ई.एल. भोपाल के कार्यपालक निदेशक/महाप्रबंधक अथवा उन्नत कार्यपालक निदेशक/महाप्रबंधक द्वारा एकमात्र माध्यस्थ्य के रूप में कार्य करने के लिए नामित किसी अन्य व्यक्ति (बी.एच.ई.एल. के कर्मचारी सहित, भले ही वह किसी भी प्रकार इस क्रय आदेश से संबंधित मामले से संबंधित रहा हो) के सुपुर्द किया जाएगा। यह माध्यस्थ्य तथा सुलह अधिनियम 1996 और उसके नियमों के अन्वयधीन होगा। माध्यस्थ्य समय-समय पर पारिशियों की सहमति से अवार्ड देते तथा उसे प्रकाशित करने का समय बढ़ा सकता है।

29. इससे संबंधित सभी **वाद/दावे** केवल भोपाल के न्यायालयों में चलेंगे।

30. बी.एच.ई.एल. अपना यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि वह सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को वर्तमान नीति के अंतर्गत यथाग्रह आदेश दिये जाने तथा मूल्य अधिमान सुविधाएं अनुमत करेगा।

31. **क्रय आदेश के लिए संरक्षा शर्तें** : निरीक्षण एजेन्सी द्वारा निरीक्षण के लिये विक्रेता एच.बी. परीक्षण, न्यूमेरिक परीक्षण, हाइड्रॉलिक परीक्षण, स्प्रिंग परीक्षण, बैंड परीक्षण, सामग्री हैडलिंग और सुरक्षित रूप से कार्य करने के वातावरण आदि जैसे निरीक्षणों के लिये आवश्यक पर्याप्त सुरक्षा उपपयोगों का रखरखाव करेगा तथा उन्हें सुनिश्चित करेगा।

विक्रेता जांच किये जाने वाले उपकरणों के संबंध में कारखाना अधिनियम 1948 के चैप्टर-चार, खंड 21 से 41 में विनिर्दिष्ट सुरक्षा संबंधी सभी सावधानियों का अनुशासन सुनिश्चित करेगा।

यदि कोई सुरक्षा उपकरण समुचित सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो परीक्षण एजेन्सी उस समय तक के लिये परीक्षण बंद कर सकती है। जब तक कि अपेक्षित सुरक्षा आवश्यकताएं पूरी नहीं हो जाती।

32. ऑपरर का मूल्यांकन आपूर्ति के बाद की लागत (एच.ई.एस.जी.) के आधार पर

it shall not absolve the supplier of the responsibility of fulfilling BHEL order requirements.

17. Bharat Heavy Electricals Ltd. does not bind itself to accept the lowest or any quotation, but reserves to itself the right to accept full or part of any quotation at its discretion.

18. **Rate should be quoted in the Units given in the Enquiry and valid for a period of three months from the due date of opening of quotation. The rates should be quoted both in figures and words.**

19. In the event of any tenderer withdrawing the quotation after the quotations are opened but before the Purchase order is placed the Earnest Money, if any deposited by him shall be forfeited.

20. The quotation must indicate **Tariff item number and rate of Excise duty applicable** : Original Excise duty **Gate pass** will be required to be furnished in case charged to us.

21. **Only Central Sales Tax** as applicable at the time of supply is to be charged Our registration No. is Bhopal-IH/EL-11 (C) dated 28-1-1982. However if any tenderer finds that any other sales tax is to be paid, it should clearly be mentioned in the quotation.

22. Where there is provision for payment of Sales Tax extra, it will only be paid if registration number both under the State Sales Tax and Central Sales Tax are specifically mentioned on the bill / invoice.

23. **Supplier Sales Tax Registration Number** should be mentioned in the quotation positively.

24. **Supplies shall be securely protected** and the goods packed against loss, damage etc. Marking and consignee details shall be as per the Purchase Order.

25. **All Material is to be booked** to Sr. Manager Central Receiving Section, HESG Siding Via Bhopal in case of Rail. In case of Road, the material is to be sent only through BHEL approved Transporters on Door Delivery basis to Sr. dy. General Manager, Central Receiving Section, Block-VII, BHEL, Bhopal, if any material is not booked as above, any **wharfage or demurrage occurring the reform shall be to the account of the supplier.**

26. Set of documents consisting of Invoice, Challan, Guarantee Certificate Test Certificate RH/LR, Excise Duty Gate Pass etc. will be required to be furnished as per details in P.O. to Material Management Dept., Central Receiving Stores and Purchase Bills (Accounts).

27. **All Drawings and Patterns** supplied by BHEL will remain BHEL property and shall be returned to BHEL as and when demanded by BHEL in good condition.

28. **ARBITRATION** : In all cases of disputes emanating from and in reference to this Purchase Order the matter shall be referred to the arbitration of the sole arbitration of the Executive Director/ GM of BHEL, Bhopal or any other person (including an employee of BHEL, even though he had to deal with the matter relating to this P.O. in any manner) nominated by the said Executive GM to act as sole arbitrator. The arbitration shall be under 'THE ARBITRATION AND CONCILIATION ACT OF 1996' and the rules there under. The arbitrator may from time to time with the consent of the parties enlarge the time for making and publishing the award.

29. **All suit / claims** in respect of this shall be in the Courts of Bhopal only.

30. BHEL also reserve its right to allow to the Public Sector Enterprises ordering and price preference facilities as admissible under the existing policy.

31. **SAFETY CLAUSE FOR PURCHASE ORDERS** :

The vendors shall maintain and ensure sufficient safety measures as required for inspections and tests like HV test Pneumatic test, Hydraulic test, Spring test, Bend test Material handling and safe working environment etc. to enable Inspection Agency for performing inspection.

The vendor shall ensure that all the safety precautions specified in Factories Act 1948 Chapter-IV Section-21 to 41 are complied with respect to equipment is found not complying with proper safety requirements, then the Inspection agency may with hold inspection, till such the desired safety requirements are met.